(अंग्रेजी पत्र का हिंदी अनुवाद)

नेशनल कोआर्डिनेशन कमिटी

ऑफ़ पेंशनर्स एसोसिएशन्स

टी.यू. अधिनियम.सं. **RTU01/2021.** के तहत

पंजीकृत दिनांक.**7.01.2021**

पैन नंबर:**AAEAN8586F**

वेबसाइट: nccpahq.blogspot.in

ईमेल: **nccpahq@gmail.com**

13 सी फिरोज शाह रोड**,**

नई दिल्ली। **110 001**

अध्यक्ष : कॉम. शिव गोपा ल मिश्रा. (97176 47594)

महा सचिव: कॉम. के.के. एन. कुट्टी. (98110 48303)

दिनांक: 18.03.2022

प्रिय कॉमरेड,

जैसा कि आप जानते हैं भारत सरकार की वर्तमान आर्थिक नीतियों के विरोध में देश में मजदूर वर्ग 28 और 29 मार्च, 2022 को दो दिन की हड़ताल पर रहेगा। इन नीतियों से देश में मजदूरों को जबरदस्त नुकसान हुआ है। मज़दूरों का जीवन स्तर इतना नीचे चला गया है कि आज किसी भी वर्ग को उचित वेतन नहीं मिलता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को समाप्त करने से, विभिन्न सेवाओं के लिए लगाए गए उपयोगकर्ता शुल्क कई गुना बढ़ गए हैं। पेंशन परिलब्धियां, जो एक

समय में, हमने अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी अच्छी समझी थीं, बढ़ते खर्चों को देखते हुए बहुत कम हो गई हैं। जिन सेवाओं के लिए जीएसटी सहित भारी मात्रा में शुल्क लगाया जाता है, उनमें से कई सेवाएं या तो मुफ्त थीं या अतीत में मामूली शुल्क पर प्रदान की गई थीं। वरिष्ठ नागरिकों को दी गई सभी रियायतें वापस ले ली गई हैं। इन सबसे ऊपर, महंगाई राहत जो कि पेंशन का एक अभिन्न अंग है, को पहले ही रोक दिया गया और फिर बंद कर दिया गया। सरकार ने बिना किसी औचित्य के करोड़ों रुपये की बकाया राशि वापस रख ली है जैसा की रिपोर्ट से पता चलता है की अर्थव्यवस्था ने विकास की गति पकड़ ली है और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर दोनों से कर संग्रह बजटीय अनुमानों से अधिक हो गया है। कोरोना महामारी के विभिन्न चरणों ने पेंशनभोगी समुदाय को बुरी तरह प्रभावित किया है। कई लोग कोविड के बाद की जटिलताओं और परिणामी बीमारियों से पीड़ित हैं।

इसलिए, हमें हड़ताल के लिए अपना समर्थन व्यक्त करना चाहिए और पहले से तय की गई एकजुटता की कार्रवाई में खुद को शामिल करना चाहिए। इस अवसर पर हम आपको 25 मार्च, 2022 को हड़ताली मज़दूरों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करने के लिए सभी कार्यालयों के सामने प्रस्तावित धरने में बड़ी संख्या में भाग लेने की आवश्यकता (NCCPA का यह निर्णय पहले सूचित किया गया था) की याद दिलाते हैं । माननीय राज्य मंत्री, कार्मिक और पेंशन विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को संबोधित एक छोटा ज्ञापन इसके साथ संलग्न है। कृपया धरना कार्यक्रम समाप्त होने के बाद उसे भेज दें।

कृपया माननीय मंत्री को पेंशनभोगियों की शिकायतों और मांगों से संबंधित सभी मुद्दों को व्यापक रूप से कवर करते हुए हमारी वेबसाइट पर रखे गए संबोधित पत्र को देखें। संसद की स्थायी समिति ने लोकसभा में अपनी 110वीं रिपोर्ट में सरकार से सिफारिश की है कि 80 वर्षों में 20% के बजाय 60 वर्ष की आयु में 5% की अतिरिक्त पेंशन, 70 पर 10% और 75 वर्ष की आयु पर वर्तमान 15% की अतिरिक्त पेंशन दी जाए। अस्पताल में भर्ती होने की लागत की प्रतिपूर्ति करने के लिए FMA को बढ़ाकर रु. 3000 प्रति माह की जाए, भले ही उपचार गैर-सूचीबद्ध निजी अस्पताल से हो और पेंशनभोगियों को CCS(MA) नियमों के तहत कवर किया जाए। ऐसे महान कमिटी से आने पर, हमें अब यह मांग करनी चाहिए कि सरकार सिफारिश का संज्ञान ले और उसे यथाशीघ्र लागू करे। अतः यह निर्णय लिया गया है कि पेंशनभोगी एसिओसेशनो को 5 अप्रैल, 2022 को सभी कार्यालयों के सामने प्रदर्शन आयोजित करना चाहिए और माननीय मंत्री को निम्नलिखित ई-मेल भेजना चाहिए।

“पेंशनभोगियों से संबंधित समस्याओं पर संसद की स्थायी समिति की **110**वीं रिपोर्ट के संदर्भ में आपसे अपील करते हैं कि संबंधित अधिकारियों को उन सिफारिशों को लागू करने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया जाए।”

अभिवादन के साथ,

आपका भाई,

के.के. एन. कुट्टी
महासचिव

<u>माननीय राज्य मंत्री जी</u>
<u>कार्मिक और पेंशन विभाग के लिए ज्ञापन,</u>
<u>भारत सरकार, नई दिल्ली।</u>

हम विभिन्न क्षेत्रों के पेंशनभोगियों के मुद्दों और शिकायतों वाले मांगों का निम्नलिखित चार्टर पेश करते हैं। जैसा कि कई पेंशनभोगी एसिओसेशनो के मामले में हुआ है, हम इन मुद्दों को विभिन्न अधिकारियों के सामने उठाते रहे हैं, लेकिन खेद है कि उन्हें हल करने के लिए कदम नहीं उठाए गए। हमें लगता है कि उचित मुद्दों पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है, जिनमें वित्तीय बहिर्वाह नहीं होता है। इसके अलावा, पेंशनभोगी समुदाय को लगता है कि उन्हें मुकदमेबाजी में घसीटा जा रहा है जो हाल ही में बेहद महंगा और असहनीय हो गया है। वे अन्याय सहने को विवश हैं। यहां तक कि जब अदालतें याचिकाकर्ताओं के तर्क को बरकरार रखने वाले फैसलों का समर्थन करती हैं, तो सरकार अपने स्वयं के नीतिगत फैसलों के खिलाफ पेंशनभोगियों को उच्च न्यायालयों में खींचती है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी समान पद पर तैनात कर्मियों पर लागू नहीं होते हैं। हम आपसे उत्साहपूर्वक यह सुनिश्चित करने की अपील करते हैं कि पेंशनभोगियों को अदालत में घसीटा न जाए; उनकी शिकायतों पर एक उचित समय सीमा के भीतर ध्यान दिया जाये और उन्हें उन कारणों के साथ जवाब दिया जाये कि सरकार उनके द्वारा किए गए तर्कों को स्वीकार करने में सक्षम क्यों नहीं थी। हम आपसे निम्नलिखित मांगों पर विचार करने का भी

अनुरोध करते हैं और अधिकारियों को NCCPA के प्रतिनिधियों के साथ द्विपक्षीय चर्चा करने के लिए कहा जाए ताकि उठाई गई मांगों की उचित कार्यवाही हो सके।

मांगों का चार्टर

1. विकल्प संख्या **1** को **7**वें **CPC** द्वारा अनुशंसित पेंशन फिटमेंट फॉर्मूले में से एक के रूप में लागू करें।
2. तीसरे पीआरसी द्वारा अनुशंसित और सरकार द्वारा **01-01-2017** से अनुमोदिन के तहत बीएसएनएल में समाविष्ट सेवानिवृत्त लोगों की पेंशन को **15%** फिटमेंट के साथ तुरंत संशोधित करें; बीएसएनएल में वेतन संशोधन को अलग करें। सभी लंबित चिकित्सा बिलों और चिकित्सा भत्ता को भुगतान करें;
3. स्वायत्त निकायों के पेंशनभोगियों और सेवानिवृत्त लोगों को केंद्र सरकार के समान पेंशन और अन्य पेंशनभोगियों के लाभों के स्वत: अनुदान के लिए एक नीति विकसित करना।
4. (**a**) विकल्प संख्या **3** के तहत पेंशन का काल्पनिक निर्धारण उस संवर्ग या ग्रेड के वेतनमान/वेतन स्तर के आधार पर करें जिससे पेंशनभोगी सेवानिवृत्त हुआ है। (**b**) न्यायालयों के निर्णयों के अनुसार जिस पद या संवर्ग से कोई सेवानिवृत्त हुआ है, उसके ग्रेड वेतन/वेतन स्तर या वेतनमान के आधार पर **2006** से पहले के सभी पेंशनभोगियों के मामले में पेंशन का निर्धारण प्रदान करें।
5. **CS(MA)** नियमों का लाभ उन सभी पेंशनभोगियों तक पहुंचाएं जो **CGHS** के दायरे में नहीं आते हैं।

6. **FMA** को बढ़ाकर रु. **3000** करें जैसा की **PF** पेंशनरों को दिया गया है।
7. न्यूनतम पेंशन को न्यूनतम वेतन का **60%** तक बढ़ाएं यानी रु. **10,800** प्रति महीने।
8. पेंशन के कम्यूटेशन हिस्से को **10** साल बाद बहाल करें।
9. संसदीय पैनल की सिफारिश के अनुसार **65** वर्ष की आयु के बाद पेंशन की बढ़ी हुई दरें प्रदान करें।
10. नई अंशदायी पेंशन योजना को समाप्त करें और परिभाषित लाभ पेंशन को बहाल करें।
11. सरकार/आरबीआई/सैन्य के साथ बैंक पेंशनभोगियों की पेंशन को संशोधित करें और बैंकों के समामेलन से उत्पन्न होने वाली पेंशन और अन्य लाभों में विसंगतियों को दूर करें।
12. सभी पदस्थापित पेंशनभोगियों को न्यायालय के निर्णयों से उत्पन्न होने वाले लाभ को समान रूप से प्रदान करें। अर्थात **30** जून और **31** दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वालों के लिए एक काल्पनिक वेतन वृद्धि के अनुदान के लिए अदालत का आदेश है।
13. बैंक पेंशनभोगियों सहित सभी पेंशनभोगियों के लिए चिकित्सा बीमा योजना शुरू करें, जो भी ऐसी योजना का विकल्प चुनते हैं।
14. सरकार द्वारा कोविड अवधि के दौरान वापस लिए गए वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन किराया रियायत बहाल करें।
15. कार्यरत कर्मचारियों के समान सभी सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए एक कल्याण कोष बनाये।

16. **01.11.2002** से पहले और बाद के अंतर के बिना सभी बैंक कर्मचारियों के लिए डीए भुगतान को समान करें।
17. **1986** से पूर्व सेवानिवृत्त हुए बैंक कर्मचारियों के अनुग्रह राशि में वृद्धि करना।
18. रेलवे पेंशनभोगियों की पूर्ति करने वाले रेलवे अस्पतालों की कमी को पूरा करने के लिए चिकित्सा और अर्ध-चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करें।
19. सभी रेलवे पेंशनभोगियों को संशोधित PPOs जारी करें ताकि वे **7**वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार संशोधित पेंशन प्राप्त कर सकें।
20. FMA के अनुदान के लिए **2.5.** किमी दूरी प्रतिबंध हटा दें।

आपका धन्यवाद,

आपका विश्वासी,

(अध्यक्ष/सचिव का नाम।) एसिओसेशन/संघ का नाम।